ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi 110 001

No. 4/2012/SDR   Dated: 12th October, 2012.

To,

The Chief Electoral Officer,
Himachal Pradesh,
Shimla.

Subject:- General Election to the Legislative Assembly of Himachal Pradesh - Provision of Rule 49 O of the Conduct of Elections Rules, 1961, regarding electors deciding not to vote.

Sir,

Your attention is invited to the Commission's letter No. 4/2004/JS-II, dated 29-9-2004,(copy enclosed) regarding the procedure to be followed in the case of electors deciding not to vote under Rule 49 O of the Conduct of Elections Rules, 1961. As explained therein, Rule 49 O of the Conduct of Elections Rules, 1961 provides that if an elector after his electoral roll number has been duly entered in the register of voters in Form 17A and has put his signature or thumb impression thereon, as required under sub-rule (1) of rule 49L, decides not to record his vote, a remark to that effect (decided not to vote) shall be made against the said entry in Form 17 A by the Presiding Officer, and signature or thumb impression of the elector shall be obtained against such remark. The procedure to be followed in such cases is explained in Chapter XXIII of Handbook for Presiding Officers (2009). This point should be explained during the training of poll personnel.

2. The above instructions shall be brought to the notice of all election related officials, especially the Presiding Officers and Polling Officers at the current general election for strict compliance of the prescribed procedure to deal with electors who decide not to cast vote after signing in Form 17A. There have been complaints from several quarters that the Polling Personnel are not aware of the

procedure in this regard, resulting in confusion in the Polling Station and inconvenience to the electors.

3. Further, the Commission has directed that the total number of electors who may decide not to vote invoking the provision of the said Rule 49 O should be compiled for record purposes. The figures regarding the number of such electors are required to be indicated against Item-3 of Part-1 of Form 17C (Account of votes recorded). Instructions may be issued to all Returning Officers to collect the said figures from Form 17C at the time of counting of votes. The information so compiled may be sent to the Commission indicating the total number of such electors constituency-wise.

4 Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(A.K. Pathak)
Under Secretary

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं0 4/2012/एस0डी0आर दिनांकः-12 अक्टूबर,2012

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
हिमाचल प्रदेश,
शिमला।

विषयः- विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन-मत नहीं देने का निर्णय लेने वाले निर्वाचकों के संबंध में निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ण का उपबंध।

महोदय,

आपका ध्यान निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ण के अधीन मत नहीं देने का निर्णय लेने वाले निर्वाचकों के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में आयोग के दिनांक 29.09.2004 के पत्र सं0-4/2004/जेएस-11 की ओर आकर्षित किया जाता है। जैसा कि उसमें स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचनों का संचालन नियम,1961 के नियम 49 ण में यह उपबंधित है कि यदि कोई निर्वाचक, जिसकी निर्वाचक नामावली संख्या प्ररुप 17 क में मतदाताओं के रजिस्टर में विधिवत् रुप से प्रविष्ट की जा चुकी है तथा जो उसमें अपने हस्ताक्षर कर चुका है अथवा अपने अंगूठे का निशान लगा चुका है, जैसा कि नियम 49 ठ के उप-नियम(1) के अधीन अपेक्षित है, तथा इसके पश्चात वह अपना मत रिकार्ड नहीं करने का निर्णय करता है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा प्ररुप 17 क में उक्त प्रविष्टि के सामने इस प्रभाव की एक टिप्पणी की जाएगी और ऐसी टिप्पणी के सामने निर्वाचक का हस्ताक्षर करवाया जाएगा अथवा उसके अंगूठे का निशान लगवाया जाएगा। ऐसे मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पाठासीन अधिकारियों के लिए पुस्तिका (2009) के अध्याय-xxiii में स्पष्ट की गई है।

2. उपर्युक्त अनुदेश निर्वाचन से संबंधित सभी कर्मचारियों, विशेष रुप से चालू साधारण निर्वाचन में पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों के ध्यान में, प्ररुप 17 क में हस्ताक्षर करने के पश्चात मत नहीं देने का निर्णय करने वाले निर्वाचकों से संबंधित मामलों के निपटान के लिए निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में दृढ़तापूर्वक अनुपालन के लिए लाई जानी चाहिए। कई क्वार्टरों (क्षेत्रों) से यह शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि मतदान कार्मिक इससे संबंधित प्रक्रिया से परिचित नहीं हैं, इसके परिणाम स्वरुप मतदान केन्द्र पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा निर्वाचकों को असुविधा होती है।

3. इसके अतिरिक्त आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदाताओं की संख्या, जो उक्त नियम 49 ण का अवलंबन लेकर मत नहीं देने का निर्णय लेते हैं, को रिकार्ड के उद्देश्य से संकलित किया

जाए। ऐसे निर्वाचकों से संबंधित आंकड़े प्ररुप 17 ग (रिकार्ड किए गए मतों का लेखा) के भाग-1 की मद-3 के सामने दर्शाए जाने चाहिए। सभी रिटर्निंग आफिसरों का मतगणना के समय प्ररुप 17 ग से कथित आंकड़े संग्रहित करने के लिए अनुदेश तत्काल जारी किए जाएं। इस संकलित सूचना को निर्वाचन क्षेत्रवार, ऐसे निर्वाचकों की कुल संख्या दर्शाते हुए आयोग को भेजा जाए।

कृप्या प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय,

(आनंद कुमार पाठक)
अवर सचिव